



# राज्य सरकार

भारत गणराज्य 29 राज्यों (प्रांतीय संघीय इकाईयों) और 7 केन्द्रशासित संघ राज्य क्षेत्र (Union territories) का एक संघ (Union) है। भारत सरकार ही संघ या केन्द्र सरकार (union government) के नाम से जानी जाती है। आप यह पढ़ चुके हैं कि भारत के मतदाता तीन स्तरों की सरकार को चुनते हैं— (1) अपने शहर के नगरीय निकाय अथवा अपने ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं को, (2) अपने राज्य की सरकार को और (3) देश की संघ सरकार को। प्रत्येक सरकार का कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना क्षेत्र होता है।

सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने आदि कार्यों की जिम्मेदारी होती है। सरकार में सम्मिलित कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, तो कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समाधान के लिए न्यायालय की व्यवस्था है। उपरोक्त सब कार्यों को करने के लिए राज्य में संस्थाएँ होती हैं। राज्य की सरकार की बात करें तो –

1. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् अपनी बैठकों में नीतिगत फैसले लेते हैं।
2. उनके फैसलों को लागू करने के लिए नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं।
3. उच्च न्यायालय नागरिक व सरकार के बीच के विवाद को सुलझाता है।
4. संस्थाओं के साथ नियम-कानून जुड़े होते हैं। नियम-कानूनों के अन्तर्गत ही संस्थाओं को कार्य करना होता है।



### सरकार की शक्तियों का बँटवारा

भारतीय संविधान में राज्य सरकार के गठन, कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। संविधान ने सरकार की शक्तियों एवं कार्यों को संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से बाँट दिया है। यह बँटवारा तीन प्रकार की सूचियों में वर्णित किया गया है –

1. प्रथम सूची 'संघसूची' या केन्द्रीय सूची कहलाती है। इस सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के 97 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्र सरकार अर्थात् भारत सरकार को दी गई है।



संघ सूची के विषय

2. द्वितीय सूची 'राज्यसूची' कहलाती है। इस सूची में पुलिस, स्थानीय व्यापार व वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे स्थानीय महत्त्व के 66 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों की सरकारों को दी गई है। राज्य सरकार इनमें से अनेक कार्य स्थानीय निकायों की सहायता से करती है।



3. तृतीय सूची 'समवर्तीसूची' कहलाती है। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर-संघ, विवाह-विधि आदि 47 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर केन्द्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। परन्तु केन्द्र के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की गई है।




4. शेष बचे हुए विषयों की शक्ति केन्द्र सरकार को दी गई है जिन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। अब हम राज्य सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे।

### राज्य सरकार के अंग

राज्य सरकार की शक्तियाँ उसके तीन अंगों में बँटी हुई हैं। ये तीन अंग इस प्रकार से हैं :-

### राज्य सरकार का ढाँचा



अब हम प्रमुखतः राजस्थान-सरकार के सन्दर्भ में सरकार के इन अंगों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं-

### 1. कार्यपालिका :

**राजनीतिक कार्यपालिका**- राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का निकाय होता है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, जो सरकार चलाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं।



**स्थायी कार्यपालिका**— वे लोग जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें सरकार लम्बे समय तक के लिए नियुक्त करती है, जैसे कि सचिव व अन्य प्रशासनिक अधिकारी, इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये लोकसेवक राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

**राज्यपाल**—

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्य सरकार की सारी गतिविधियाँ राज्यपाल के नाम से संचालित होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परन्तु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बने रह सकता है।

ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, वह किसी विधायिका का सदस्य न हो तथा सरकारी और लाभकारी पद पर न हो— वह राज्यपाल के पद के योग्य होता है।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों को मुख्यतः चार भागों में बाँट कर अध्ययन कर सकते हैं :—

**1. कार्यपालिका शक्तियाँ** : ये वे कार्य हैं, जिन्हें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के अंग के रूप में सम्पन्न करता है।

(i) राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

(ii) राज्य की कार्यपालिका—शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। राज्य में सभी प्रमुख पदों पर नियुक्तियाँ राज्यपाल के नाम पर ही की जाती हैं। लेकिन वह इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही करता है।

(iii) राज्यपाल मंत्रिपरिषद् से किसी भी मामले पर सूचना माँग सकता है।

(iv) राज्यपाल समय-समय पर राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति की सूचना केन्द्र सरकार को भेजता रहता है।

**2. विधायी शक्तियाँ** : ये वे कार्य हैं, जिनका सम्पादन राज्यपाल राज्य की विधायिका के अंग के रूप में सम्पन्न करता है।

(i) वह राज्य विधायिका के सत्र को आहूत करता है और प्रथम सत्र को सम्बोधित करता है।

(ii) विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बन सकता है।

(iii) वह विधायिका के समक्ष बजट रखवाता है।

(iv) राज्यपाल की स्वीकृति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

**3. आपातकालीन शक्तियाँ** : ये वे शक्तियाँ हैं, जिनका प्रयोग राज्यपाल निर्वाचित सरकार के स्थान पर राज्य में राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में करता है।

**4. न्यायिक शक्तियाँ** : राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम या स्थगित कर सकता है तथा उसे क्षमा भी कर सकता है।

आइए, अब हम मंत्रिपरिषद् पर चर्चा करें—

### मंत्रिपरिषद्

मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद् के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद् राजधानी जयपुर में स्थित 'सचिवालय भवन' से राज्य के शासन का संचालन करती है। सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की सहायता के लिए सचिव होते हैं। वे नौकरशाह होते हैं। वे मंत्री को सूचनाएँ उपलब्ध करवाते हैं और निर्णय लेने में मंत्री की सहायता करते हैं। नौकरशाह मंत्रिपरिषद् के निर्णयों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।



राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर

### मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबन्धन का नेता होता है। वह मंत्रियों की सहायता से सरकार चलाता है। मंत्री उसकी ही पार्टी अथवा उसकी सहयोगी पार्टियों के विधायक होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रीपरिषद् का मुखिया होता है।

वास्तव में राज्य के शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल के नाम पर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद् द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद् अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था 'विधानसभा' के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही वह अपने पद पर बना रह सकता है।




### मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य –

1. वह मंत्रियों में कार्यों का बँटवारा करता है।
2. वह विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी करता है और उनके कार्यों का समन्वय करता है। सभी मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं।
3. वह मंत्रीमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
4. बहुमत दल का नेता होने के कारण वह विधानसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करता है।

अब हम राज्य विधायिका की चर्चा करेंगे—

### 2. राज्य विधायिका

मुख्य रूप से विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। हमारे राजस्थान राज्य में विधायिका एक सदनात्मक है। यहाँ एक ही सदन अर्थात् 'विधानसभा' विद्यमान है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्यों में विधायिका द्विसदनात्मक है। वहाँ दूसरा सदन 'विधानपरिषद्' भी विद्यमान है।



### राज्य सरकार का गठन



मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है।

राजस्थान राज्य की विधानसभा के 200 निर्वाचन क्षेत्र

### विधानसभा का गठन

विधानसभा राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सभा होती है।

**विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र :** यदि हम राजस्थान राज्य के संदर्भ में बात करें, तो हमारी विधानसभा के गठन हेतु पूरे राजस्थान राज्य को 200 क्षेत्रों में बाँटा गया है। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र 'विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र' कहलाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से उस क्षेत्र के मतदाता अपना विधायक चुनते हैं। इनमें से 34 क्षेत्र अनुसूचित जाति और 25 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।

**विधायक :** प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने मत के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। यह निर्वाचित प्रतिनिधि 'विधायक' (एम.एल.ए.) के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित है। विधायक बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो, वह संघ या राज्य में लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया घोषित न हो।

### विधानसभा की बैठकें

:विधानसभा की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार होती हैं। ये बैठकें राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित विधानसभा भवन में सम्पन्न होती हैं। विधायक अपने में से ही किसी एक विधायक को अध्यक्ष तथा एक अन्य विधायक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। विधान सभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा का अध्यक्ष करता है।



### विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ –

विधानसभा राज्य की जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। विधानसभा अपनी बैठकों में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करती है—

1. **विधायी कार्य :** कानून बनाने से संबन्धित कार्य विधायी कार्य कहलाते हैं। राज्य की विधानसभा इस पाठ के आरम्भ में वर्णित राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। वह मौजूदा कानून को संशोधित भी कर सकती है और उसे निरस्त भी कर सकती है। वह संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन की प्रक्रिया में भी भाग लेती है।
2. **वित्तीय कार्य :** राज्य सरकार के धन संबंधी कार्यों पर विधानसभा का नियंत्रण होता है। सरकार अपने द्वारा प्रस्तावित बजट को विधानसभा से स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् ही वह जनता से कर वसूल सकती है और उसे खर्च कर सकती है।
3. **सरकार पर नियन्त्रण :** कार्यपालिका अर्थात् सरकार चलाने वाला निकाय विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। विधानसभा में सार्वजनिक मसलों और सरकार की नीतियों पर बहस होती है। विधानसभा की बैठकों में विधायक मंत्रीपरिषद् से सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछते हैं और उनसे सूचना माँग सकते हैं। बैठक के दौरान वे 'काम रोको' प्रस्ताव द्वारा किसी भी समय सरकार से किसी मुद्दे पर बयान की माँग कर सकते हैं। विधानसभा कार्यपालिका के संबंध में 'निन्दा' प्रस्ताव भी ला सकती है। सरकार विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने तक ही कार्य कर सकती है। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित होने पर मंत्रीपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।
4. **निर्वाचन कार्य :** विधानसभा के सदस्य अर्थात् विधायक निर्वाचक मंडल के सदस्य भी हैं। वे राष्ट्रपति और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। वे सदन के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करते हैं।

### विधान परिषद् का गठन और शक्तियाँ—

विधानपरिषद् राज्य व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन होता है। यह एक स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं हो सकता। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। विधानपरिषद् के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होती है। ये सदस्य स्थानीय स्वशासन की इकाइयों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय स्नातकों के प्रतिनिधि होते हैं।

विधानपरिषद् साधारण विधेयक पर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है और अनुमोदन की प्रक्रिया को विलम्बित कर सकती है। धन विधेयक परिषद् द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। विधानपरिषद् बहस और प्रश्नों द्वारा मंत्रीमण्डल के सदस्यों पर नियंत्रण रख सकती है। वर्तमान में राजस्थान राज्य में विधान परिषद् विद्यमान नहीं है।



### 3. न्यायपालिका

देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र संस्था होती है। भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) नई दिल्ली में स्थित है। राज्यों की सबसे बड़ी अदालत उच्च न्यायालय होती है। राजस्थान का उच्च न्यायालय (High Court) जोधपुर में स्थित है। इसकी एक पीठ (Bench) जयपुर में भी है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। उसके अधीन जिला एवं स्थानीय न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है :-

1. राज्य के नागरिकों के बीच का विवाद
2. नागरिक और सरकार के बीच का विवाद
3. अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील

#### गतिविधि :

शिक्षक एवं अभिभावकों की सहायता से निम्नलिखित जानकारी जुटाइए-

1. भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का नाम -
2. राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का नाम -
3. राज्य के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के नाम -
4. आपके क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम -
5. आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक का नाम -
6. राजस्थान की राजधानी का नाम -

#### शब्दावली

- संघ राज्य क्षेत्र - भारतीय गणराज्य की वह इकाई जो सीधे केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित है।
- आहूत करना - बैठक बुलाना।

#### अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए -
  - (i) राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है -  
 (अ) मुख्यमंत्री (ब) प्रधानमंत्री (स) राष्ट्रपति (द) राज्यपाल ( )
  - (ii) राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या है -  
 (अ) 250 (ब) 545 (स) 200 (द) 66 ( )



(iii) राज्य के मतदाता मतदान करते हैं—

- (अ) स्थानीय निकाय के चुनाव में (ब) राज्य विधानसभा के चुनाव में  
(स) देश की लोकसभा के चुनाव में (द) तीनों में ही ( )

2. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए —

- (i) ..... राज्य की मंत्री परिषद् का मुखिया होता है।  
(ii) मंत्री की सहायता के लिए विभाग में ..... होते हैं।  
(iii) राजस्थान की विधायिका ..... सदनात्मक है।  
(iv) राजस्थान का उच्च न्यायालय ..... में स्थित है।

3. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए —

(अ) स्तम्भ 'अ'—विषय

स्तम्भ 'ब'—सूची

- (I) प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार समवर्ती सूची  
(ii) पुलिस, कृषि, सहकारिता संघ सूची  
(iii) शिक्षा, वन, मजदूर—संघ राज्य सूची

(ब) स्तम्भ 'अ'

स्तम्भ 'ब'

- (I) मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् न्यायपालिका  
(ii) विधानसभा कार्यपालिका  
(iii) उच्च न्यायालय विधायिका

4. राज्य सरकार के तीन अंग कौन-कौन से हैं ?

5. कार्यपालिका में कौन-कौन सम्मिलित होते हैं ?

6. मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए।

7. विधानसभा के विधायी कार्यों का वर्णन कीजिए।

